

अनुदान संख्या 32 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 32-DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	5636,42,00	5636,44,00	5327,78,21	-308,65,79
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				213,38,39
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	7763,65,00	16899,91,00	4619,34,48	-12280,56,52
पूरक	Supplementary	9136,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12279,77,39

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	6637.00	6473.94	6288.83	-185.11
पु.	R.	-163.06			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि वित्तीय संस्थाएं	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	4501.00	4182.30	4182.30	
पु.	R.	-318.70			..
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	215836.00	189586.00	189586.00	
पु.	R.	-26250.00			..
मुख्य शीर्ष "3075"	Major Head "3075"				
अन्य यातायात सेवाएं	Other Transport Services				
मू.	O.	268643.00	289792.28	281033.93	
पू.	S.	1.00			-8758.35
पु.	R.	21148.28			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	30737.00	14409.14	14120.69	
पु.	R.	-16327.86			-288.45
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	3862.00	4305.96	4205.43	
पु.	R.	443.96			-100.53

(I) 101.78 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग" के अंतर्गत 348.17 लाख रु. की बचत (6637.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2416" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि को अंशदान" के अंतर्गत 317.70 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनियम दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3054" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "रेलवे सुरक्षा कार्य - रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए बजट सहायता" - 13125.00 लाख रु. की बचत (95836.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए उपकर संग्रहण के भाग के आधार पर कम प्रावधान किए जाने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण - केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण" - 13125.00 लाख रु. की बचत (95836.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए उपकर संग्रहण के भाग के आधार पर कम प्रावधान किए जाने और बराबर राशि आरक्षित निधि को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" -

(क) "तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि को अंशदान" - 100.41 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनियम

(I) Provision of Rs.101.78 lakhs remained wholly unutilised under eight heads.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Economic Affairs" - saving of Rs.348.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6637.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards leave travel concession and economy measures.

(III) Under Major Head "2416" - "International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development" - saving of Rs.317.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(IV) Under Major Head "3054" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Railways Safety Work - Budget Support for Railway Safety Works" - saving of Rs.13125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.95836.00 lakhs) was due to less provision made by the Planning Commission based on share of cess collection for Railways Safety Works.

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Road Fund" - saving of Rs.13125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.95836.00 lakhs) was due to less provision made by the Planning Commission based on the share of cess collection for Railways Safety Works and equivalent amount transferred to Reserve Fund.

(V) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(A) "International Cooperation" -

(a) "Contribution to Common-Wealth Fund for Technical Cooperation" - saving of Rs.100.41 lakhs (against the sanctioned

दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

provision of Rs.850.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(ख) “एशियाई विकास बैंक के तकनीकी कार्यक्रमों को अंशदान” - 351.20 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत न्यास निधि में कम अंशदान किए जाने के कारण हुई।

(b) “Contribution to Technical Programmes of Asian Development Bank” – saving of Rs.351.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to less contribution in India Trust Fund.

(खा) “अन्य व्यय” -

(B) “Other Expenditure” –

(क) “भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण” - 189.13 लाख रु. की बचत (715.12 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संख्या में होने के कारण हुई।

(a) “Training of Indian Economic Service Officers” – saving of Rs.189.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.715.12 lakhs) was due to less number of training programmes.

(ख) “भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता” - 15913.35 लाख रु. की बचत (27800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय निर्यात-आयात बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “Interest equalisation support to Exim Bank of India” – saving of Rs.15913.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27800.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the Exim Bank of India.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.17 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.57.17 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (21239.44 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.21239.44 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.2.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3075” - “अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता” -

(A) Major Head “3075” – “Others - Subsidy to Railways towards dividend relief” –

(क) “रेलवे को अदायगी” - 15700.28 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6941.93 लाख रु. था।

(a) “Payment to Railways” – Rs.15700.28 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6941.93 lakhs.

(ख) “सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति” - 5448.00 लाख रु.।

(b) “Reimbursement of losses of Railways on operating strategic Railway lines” – Rs.5448.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3466" - "अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि - अंशदान की अदायगी" - 91.16 लाख रु।

(B) Major Head "3466" - "Afghanistan Reconstruction Trust Fund - Payment of Contribution" - Rs.91.16 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 301.03 लाख रु. का अधिक व्यय (600.22 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सहस्राब्दि निधि के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3605" - "Co-operation with other Countries- Technical aid to South and South-East Asia under the Colombo Plan" - excess of Rs.301.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.22 lakhs) was due to requirement of additional funds for conducting programmes under the India Millennium Fund.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1228056.52 लाख रु.) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 913626.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 73 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1228056.52 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.913626.00 lakhs obtained in March, 2010 and constituted 73 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services			
मू.	O.	300.00		
पु.	R.	-275.00	25.00	24.60
				-0.40
मुख्य शीर्ष "5466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions			
मू.	O.	670404.00		
पू.	S.	913626.00	366843.61	366843.14
पु.	R.	-1217186.39		-0.47

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
--	--	------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital outlay on Other General Economic Services			
मू.	O.	16260.00	5475.00	5405.85
पु.	R.	-10785.00		
मुख्य शीर्ष "7605"	Major Head "7605"			
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments			
मू.	O.	1.00	270.00	260.89
पु.	R.	269.00		

(I) 303561.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "5466" - "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में) - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान" के अंतर्गत एक मामले में कोटा पैकेज का अनुसमर्थन न किए जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अदायगी का अनुरोध प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.303561.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised in one case under Major Head "5466" - "International Monetary Fund (in Securities) - Subscription to International Monetary Fund" - due to non-receipt of request for payment by International Monetary Fund owing to non-ratification of quota package.

(II) मुख्य शीर्ष "5466" - "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (प्रतिभूतियों में) - मूल्य अनुरक्षण दायित्व" के अंतर्गत 365393.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 913625.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1279018.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 913625.40 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) एसडीआर के रूप में मुद्रा का मूल्य बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5466" - "International Monetary Fund (in Securities) - Maintenance of value (MOV) obligation" - the original provision of Rs.365393.00 lakhs was augmented to Rs.1279018.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.913625.00 lakhs. However, there was a saving of Rs 913625.40 lakhs (including supplementary grant) - due to non-requirement of additional funds by International Monetary Fund to maintain the value of currency in term of SDR's.

(III) मुख्य शीर्ष "4075" - "अन्य व्यय - बजट मुद्रणालय के लिए बहुरंगी वेब आफसेट मुद्रण मशीन की खरीद" के

(III) Under Major Head "4075" - "Other Expenditure - Purchase of multi colour Web

अंतर्गत 275.40 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैदरिंग मशीन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “5475” - “अन्य व्यय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अवसंरचना विकास के लिए सहायता” - 10415.00 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अर्थव्यवस्था में आम मंदी के परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं की बोलियां असफल होने और तीन परियोजनाओं में कार्य के धीमी गति से बंद और चालू होने के कारण हुई।

(खा) “भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि” - 295.00 लाख रु. की बचत (1050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को निधियों का अनुमोदन उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(गा) “सार्वजनिक निजी भागीदारी को बनाए रखने के लिए कार्यकलाप” - 144.15 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के कार्यकलापों के लिए कम अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “7605” - श्रीलंका की सरकार को कर्ज - नया ऋण 1994” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 259.89 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रीलंका की सरकार से संबंधित दावे के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Offset Printing Machine for Budget Press” – saving of Rs.275.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finanlisation of procurement process of Gathering Machine.

(IV) Under Major Head “5475” – “Other Expenditure” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance for Infrastructure Development” – saving of Rs.10415.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to general slowdown in the economy resulting in failure of bids for three projects and slower closure and onset of works in three projects.

(B) “India infrastructure Project Development Fund” – saving of Rs.295.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1050.00 lakhs) was due to non-availability of funds approvals to certain projects.

(C) “Activities for maintaining Public Private Partnership” – saving of Rs.144.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to receipt of less approvals for activities promoting Public Private Partnership.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “7605” – “Loans to Government of Sri Lanka-New Credit 1994” – excess of Rs.259.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to requirement of additional funds for settlement of claim in respect of Government of Sri Lanka.